निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1941 (श0)

(सं0 पटना 189) पटना, वृहस्पतिवार, 5 मार्च 2020

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

5 मार्च 2020

एस0ओ0 88, दिनांक 5 मार्च 2020--भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा-22 (एच) सह-पठित बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम-284 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निबंधित निर्माण कामगारों के कल्याणार्थ **"वार्षिक वस्त्र सहायता योजना"** प्रारंभ की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण श्रमिक, जो बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कल्याण-कोष के सदस्य हैं, के बैंक खाता में प्रत्येक वर्ष ₹2,500/- (रूपये दो हजार पाँच सौ) राशि एकमुश्त अन्तरित की जाएगी।

यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

(सं0 बी0सी0डब्लू0सी0-09/2020 श्र0सं0-158)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सूर्यकान्त मणि,

सरकार के उप-सचिव।

5 मार्च 2020

एस0ओ0 88, दिनांक 5 मार्च 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं0 बी0सी0डब्लू0सी0-09/2020 श्र0सं0-158)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सूर्यकान्त मणि,

सरकार के उप-सचिव।

The 5th March 2020

S.O. 88 dated the 5th march 2020--Inexercise of power, conferred by Section 22(h) of Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996 (27 of 1996) and the Rule 284 A of Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Rule-2016, **"Annual Cloth Assistance Scheme"** is being introduced for the welfare of registered construction workers under the Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board. Under this scheme, an amount of Rs. 2,500/- (Rupees Two thousand Five hundred) in toto per year will be transferred in the bank account of every construction worker, who is a member of Welfare-Fund of Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board.

This Notification will be effective from the date of issue.

(No. BCWC-09/2020 LR- 158)
By order of the Governor of Bihar,
Suryakant Mani,
Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 189-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in